# निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,भदेसर जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी -- सुश्री अंजू शर्मा आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या – 40 / 2013** **दिनांक : 07.10.2020**

**अनवान**

मु0भगवानी बाई पुत्री दल्ला पत्नी स्व0छोगालाल जाट 55 वर्ष निवासी कन्नौज तहसील भदेसर

..... वादीया

|| **बनाम** ||

1. भेरी बाई पत्नी रामेश्वरलाल जाट 44 वर्ष निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
2. नारायणलाल पिता दल्ला जाट वयस्क निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
3. हरलाल पिता दल्ला जाट वयस्क निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
4. कालू पिता रामा जाट वयस्क निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
5. राधीबाई पत्नी हरीराम जाट वयस्क निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
6. धनराज पिता लेहरू जाट वयस्क निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
7. सुरेशचन्द्र पिता लेहरू जाट वयस्क निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

..... प्रतिवादीगण

**वाद घोषणा , स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन**
**अन्तर्गत धारा 88,188,53,183 / 209 रा0का0अधि0**
उपस्थित –श्री नारायणसिह खंगारोत वकील वादीया

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा **88,188,53,183 / 209** के तहत वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :–

1. यह कि ग्राम हट्टीपुरा की खाता संख्या 41 की आराजी नम्बर 35 , 36, 37, 38, 98, कुल किता–5 कुल रकबा 13 बीघा स्थित है जो आता चाह नम्बर 46 से सिचित होती है ताईद में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है यह आराजीयात वादीया के स्वंर्गीय पिता दल्ला पिता खुमा के समय से चली आ रही है ।
2. यह कि वादीया के परिवार का पारिवारिक सजरा इस प्रकार है कि दल्ला के तीन पुत्र रामलाल , नारायणलाल व हरलाल हुए रामलाल का स्वर्गवास हो गया उसका पुत्र प्रतिवादी नम्बर 4 कालू है इसके अलावा दो लडकियां दल्ला के है मु. भगवानी वादीया एवं मु0 चांदीबाई है चांदीबाई ने अपना हिस्सा इन आराजीयात में त्याग दिया नहीं लेना चाहती है ऐसा उसने अदालत के अन्दर शपथ पत्र दिनांक 26.11.2012 को पेशकर कहा है इसलिये उसके इस प्रकरण में प्रतिवादिया नहीं बनाई गई है तथा दल्ला की समस्त जमीन में 1/4 हिस्सा वादीया का बनता है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

3. यह कि इसी तरह दल्ला की आराजीयात ग्राम कन्नौज में निम्न लिखीत है आराजी नम्बर 1424, 1429, 1430, 1445, 1446, कुल किता–5 कुल रकबा 4–00 बीघा जो चाह नम्बर 1431 एवं 1448 से विंचित होती है इन आराजीयात मं 1/2 हिस्सा वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 2 , 3, 4 का संयुक्त रूप से 1/2 एवं प्रतिवादी संख्या 6 व 7 का संयुक्त रूप से 1/2 हक हिस्सा दर्ज हे ताईद में नकल जमाबन्दी प्रस्तुत की गई है ।

4. यह कि स्व0 दल्ला के इन्तकाल के बाद उनकी वाद पत्र की कलम नम्बर 1 व 3 में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 का ही नाम दर्ज कर दिया जबकि इन आराजीयात में वादीया का नाम भी रेकार्ड में दर्ज होना चाहिये था क्यांकि वादीया दल्ला की पुत्री है इन्तकाल दिनांक 31.10.1987 को नम्बर 192 फैसल हुआ उस इन्काल के उपर भगवानी बाई का नाम तो दर्ज लिखा लेकिन इन्तकाल तस्दीक नहीं किया और सिर्फ कालू के पिता रामलाल एवं नारायण हरलाल का ही नाम दज कर दिया जिसकी कोई जानकारी वादीया को नहीं होने दी और न ही ग्राम पंचायत ने दी इसलिये वादीया उक्त आराजीयात में अपना हिस्सा दर्ज करवाने व घोषणा कराने हेतु यह दावा प्रस्तुत किया है प्रतिवादी नारायण एवं कालू ने अपना हिस्सा हट्टीपुरा का प्रतिवादी संख्या 5 राधीबाई को विकय कर दिया इसलिए उसे प्रतिवादी बनाया गया है ।

5. यह कि प्रतिवादी 2, 3, 4 ने ग्राम हट्टीपुरा की आराजीयात में से 4/5 हिस्सा दिनांक 24.1.2013 को 6 लाख रूप्ये में प्रतिवादी संख्या 1 भेरीबाई पत्नी रामेश्वरलाल जाट को विकय कर दिया जबकि राजस्व रेकार्ड मे उनका 4/5 हिस्सा बनता ही नहीं था इस कारण से वह विकय अवेध होकर वादीया के मुकाबले शून्य हे विकय पत्र की छाया प्रति वाद के साथ प्रस्तुत की जा रही है और उस विकय पत्र के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 आराजीयात पर कब्जा करने की धमकियां दे रहीं है इसलिए उसके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीया के हक हिस्से की आराजीयात पर जब तक राजस्व रेकार्ड में अलग अलग बंटवारा नहीं हो जावे और वादीया के नाम दर्ज नहीं हो जावे तब तक कजमीन पर कब्जा नहीं करें न करावें वादीया का शांति पूर्वक काश्त करने देवें ।

तथा निम्न आशय की डिकी बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे :–

(अ)– यह घोषित किया जावे कि वादीया दल्ला की पुत्री होने के कारण उनकी आराजीयात ग्राम हट्टीपुरा एवं कन्नौज में से हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी हे दल्ला के तीन पुत्र एवं दो पुयिां हे उस हिस्सा से 1/5 हिस्सा वादीया का बनता है लेकिन दल्ला की लडकी चांदीबाई ने अपना हिस्सा इन आराजीयात में से नही लेने बाबत अदालत एस0डी0ओ0 कोई भदेसर मे प्रकरण संख्या 14/12 में शपथ पत्र देकर हिस्सा लेने से मना कर दिया इसलिये अब 1/4 हिस्सा वादीया का घोषित किया जावे राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे लगान अलग से कायम

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Scanned by TapScanner

किया जावे तथा मौके पर बंटवारा अलग अलग किया जावे तगि हिस्से अनुसार कब्जा वादीया को दिलाया जावे एवं रखाया जावे प्रतिवादी नारायण हरलाल कालू ने अपने हिस्से से अधिक जमीन प्रतिवादी नमबर 1 को विकय कर रजिस्ट्री कर दी जो विधि विरूद्व हे उसको निरस्त की जावे जावे एवं जिसत हिस्सा विकेता का रेकार्ड मे बनता है उतना ही प्रतिवादी नम्बर 1 के रखाया जावे विकीत जमीन के बाद प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 का नाम दज्र है उसे राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे ।

(ब)– यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादी के हक हिस्से की जमीन पर कब्जा नहीं करें न करावें वादिया को शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी नहीं करें न करावें

(स)– यह कि खर्चा मुकदमा वादीया का प्रतिवादी संख्या 1 से 4 से लिया जावे व अन्य न्यायोचित सहायता जो अदालत उचित समझे वह प्रदान की जावे अगर प्रतिवादीगण जबरन वादीया के हक हिस्से पर कब्जा कर लेवें तो प्रतिवादीण से कबजा वादीया को लिया जावे विकल्प में यह भी निवेदन है कि चूंकि चांदीबाई भगवानी बाई की सगी छोटी बहन है अगर उसका हिस्सा अदालत कानूनी रूप से देना उचित समझे तो प्रतिवादीया का हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे कुएं से सिचाई करने देवें इसमें कोई बाधा नहीं डालेगें ।

6. यह कि वादकारण आराजीयात की रजिस्ट्री कराने एवं प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा धमकियां देने दिनांक 24.1.2013 से पेदा हे एवं उससे पूर्व वादीया ने न्यायालय मे नामान्तरण निरस्त करने की अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण संख्या 14/12 है तब से पैदा होकर अन्दर अवधि पेश है ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया बरोज पेशी प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 मे वर्णित तथ्य आराजीयात स्वीकार है बाकि तथ्य अस्वीकार है वर्णित तथ्य सजरा जिस प्रकार अंकित किया गया है स्वीकार नहीं है तथा चांदीबाई द्वारा अपना हिस्सा वादीया मु. भगवानी बाई के साथ दोनों बहिनों ने अपना हिस्सा त्याग दिया था व हिस्सा त्यागने के ारण ही उक्त आराजीयात का ना0क0 अपने भाई नारायण हरलाल व रामलाल के पुत्र कालू के नाम दाखिल खारीज हुआ इसलिए उक्त कलम में वर्णित तयि स्वीकार नहीं कि वादीया का कोई हक हिस्सा बनता हो । चरण संख्या 3 में अंकित नक्बरान को छोडकर बाकी तथ्य वादीया का हिस्सा नितान्त रूप से असत्य है तथा प्रतिवादी संख्या 2 3 4 का हक हिस्सा होकर काबिज है तगि उक्त कलम में वर्णित शेष तथ्य स्वीकार नहीं । वाद पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित तथ्य अस्वीकार है जबकि दल्ला मृत्यु के बाद पटवार हल्का द्वारा वादीया व उसकी बहिन चांदीबाई

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

दोनों के नाम इंतकाल में भरे गये परन्तु भगवानी व चांदी द्वारा गना करने पर ही हमने अपना हक अपने भाईयों के पक्ष में त्याग दिया है उक्त हक त्याग होने से इंतकाल तस्दीक किया गया तथा वादी व उसकी बहिन का नाम स्वंय के निवेदन पर अंकित नहीं किया गया शेष तथ्य उक्त कलम में असत्य अंकित किये गये है जो स्वीकार नहीं वादीया स्वंय साबित करावें ।वाद की चरण संख्या 5 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है जबकि वादीया का उक्त आराजी में किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं है वादिया के पिता ने उक्त आराजीयात पूर्व में ही विक्रय कर दी थी केवल रजिस्ट्री करानी शेष थी जो विक्रय राशि पिता ने कर्ज अदायगी हेतु व परिवार की वैधानिक आवश्यकता हेतु जरिये इकरार बेची थी तथा वादीया को इसके हिस्से की राशिपूर्व में ही पिता द्वारा दी जा चुकी है इसलिये वादीया का उक्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा नहीं होने से वादीया ने स्वंय उपस्थित हो वक्त इंतकाल अपने हक हिस्से से मना कर दिया था कि मेरा कोई हक अधिकार शेष नहीं नहीं रहा है तथा पूर्व में बंटवाडा हो चुका है व जीवन में बंटवाडा एक ही बर होता है दोबारा नहीं होता है उक्त कलम में वर्णित शेष तथ्य असत्य अंकित किये गये है । वादपत्र की शेष कलम में अंकित तथ्य भी अस्वीकार किये गये । जवाबदावा में विशेष कथन अंकित किया गया कि :– वादिया के पिता ने उक्त आराजीयात पूर्व में ही विक्रय कर दी थी तथा केवल रजिस्ट्री कराना शेष थी जो विक्रय राशि पिता ने कर्ज अदायगी व परिवार की वैधानिक आवश्यकता हेतु जरिये इकरार बेची थी तथा वादिया को इसके हिस्से की राशि पूर्व में ही पिता द्वारा दी जा चुकी है जिससे वादिया का उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का हक हिस्सा नहीं बनता है इसलिये दावा चलने योगय नहीं है तथा जीवन में बंटवाडा एक ही बार होता है दोबारा नहीं होता है प्रार्थीया ने पूर्व में ना0क0 की अपील कर रखी है जिसके प्रकरण संख्या 14/12 व उसके प्रार्थना पत्र के प्रकरण कमांक 13/1 फैसल होकर खारीज हो चुके है तथा इसी संबंध में माननीय में पूर्व में दावे चल रहें जिसके मुकदमा नम्बर 135/12 जो नियमित प्रकरण है तथा इसका प्रार्थना पत्र नम्बर 106/12 प्रार्थना पत्र होकर माननीय न्यायालय द्वारा खारीज किया जा चुका है तथा इसी आराजी के संबंध में माननीय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय निम्बाहेडा के समक्ष नियमित प्रकरण चल रहा है जिसकी प्रकरण संख्या 2/13 है जिसमें नियमित सुनवाई चल रही है तथा वहां से स्थगन आदेश आधार हीन दावा होने से अभी तक नहीं मिला है वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद विलि प्रकिया संहिता की धारा 10 व 12 के तहत वर्जित है क्यांकि पूर्व में इसी संबंध में इसी न्यायालय में व अन्य न्यायालय में प्रकण विचाराधीन है सी0पी0सी0 के आदेश 2 यिम 2 के उपनियम 2 व 3 के तहत उक्त वाद वर्जित है क्यांकि उक्त आराजीयात के संबंध में इन्हीं पक्षकारों के मध्य इसी आधार पर माननीय ए0डी0जे0 साहब निम्बाहेडा के न्यायालय में प्रकरण चल रहा है इसलिये इस न्यायालय से वादीया कोई अनुतोष प्राप्त करने

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by TapScanner

की अधिकारीनी नहीं है और न ही स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद कराने की अधिकारीनी है एक ही वाद कारण के अनेक दावे व समान पक्षकारों मध्य वाद पेश नहीं हो सकते है इसलिये आदेश 07 नियम 11 के उपनियम 4 सी0पी0सी0 के तहत वाद पत्र वर्जित है । अतः वाद सव्यय खारीज फरमाया जावे ।

प्रस्तुत वाद एवं जवाबदावा के आधार पर निम्न तनकी का निर्माण किया गया

1. वादीया पैतृक आराजीयात वादग्रस्त में 1/5 हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारी है । ..... जिम्मे वादीया
2. वादीया वाग्रस्त आराजी 1/5 हिस्से का विभाजन करवाने की अधिकारी है । ..... जिम्मे वादीया
3. वादीया वादग्रस्त आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी करवाने का हक रखती है । ..... जिम्मे वादीया
4. प्रतिवादीगण के अनुसार वादीया ने पूर्व में ही अपने भाईयों के पक्ष में हक त्याग कर दिया था इसलिए वादग्रस्त आराजी में अपने हिस्से 1/5 का घोषणा करवाने का अधिकार नहीं रखती है जिम्मे प्रतिवादीगण । ..... जिम्मे प्रतिवादीगण
5. अन्य अनुतोष

वाद के समर्थन में वादी की ओर निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

1. नकल जमाबन्दी मौजा मौजा हट्टीपुरा खाता संख्या 41 संवत् 2060–2068 प्रदर्श–1
2. नकल जमाबन्दी मौजा कन्नौज खाता संख्या 218 संवत् 2067–2070 प्रदर्श–2
3. नकल पंजिकृत विक्रय पत्र कालू, पि0 रामा, नारायण, हरलाल पि0 दल्ला द्वारा भेरी बाई के पक्ष में निष्पादित दिनांक 24.01.2013 प्रदर्श–3
4. गवाह शपथ पत्र भगवानी पुत्री दल्ला जाट निवासी कन्नौज पी0डब्लू 1
5. गवाह शंपथ पत्र मांगीलाल पिता रतनलाल जाट निवासी कन्नौज पी0डब्लू 2

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाबदावा के समर्थन में किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई ।

बहस सुनी गयी । लायक अधिवक्ता वादिया ने वाद वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दल्ला की सम्पत्ति में भगवानी का 1/5 हक हिस्सा है किन्तु प्रतिवादी 2 ,3 4 द्वारा जानबूझ कर वादीया का हिस्सा विलोपित करने की गरज से रजिस्ट्री प्रतिवादी संख्या 01 भेरी के नाम करा दी जबकि न्यायालय के प्रकरण

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

संख्या 13/2012 से वाद वर्णित आराजीयात पर स्थगन प्रभावी था उसके बाद भी ग्राम हट्टीपुरा की आराजी में से 4/5 हिस्सा भूमि की रजिस्ट्री करवा दी गई जो दौराने दावा लिसपेन्डेन्सी आफ सूट हुई है तथा वादिया के हितों के मुकाबले शून्य प्रभावी है इसलिये राजस्व रेकार्ड की पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए वादिया का वाद स्वीकार योग्य है तथा वादिया को उक्त दस्तावेज को किसी अन्य न्यायालय से खारीज कराने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि प्रकरण संख्या 14/2012 (अपील) के निर्णय दिनांक 15.07.15 भी वादीया के पक्ष में निर्णीत हुई है ।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अभिलेख का अवलोकन किया गया । चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रकरण में भाग नहीं लिया जाने से उनके विरूद्व भी एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारीत हो चुके है तथा जवाबदावा के समर्थन में कोई साक्ष्य सबूत भी प्रस्तुत नहीं किये गये हे इसलिए जवाबदावा अपोषणीय हो चुका है इसलिए तनकी वार निष्कर्ष की आवश्यकता नहीं है । वादीया द्वारा वंश वृक्ष की पृष्ठि स्वंय एवं स्वतन्त्र गवाह के माध्यम से कराई गई है मृतक दल्ला के तीन पुत्र रामलाल , नारायणलाल, हरलाल एवं दो पुत्रिया भगवानी एवं चांदीबाई है । विवादित आराजीयात वादिया की पुश्तैनी एवं पैत्रिक सम्पति होना प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श 1 व प्रदर्श–2 से साबित होता है जिसमें वादीया का 1/5 वंश वृक्ष अनुसार बनना स्वतः प्रमाणित है । किन्तु पंजिकृत दस्तावेजों के माध्यम से बेचान किया गया है वाद में उल्लेख किया गया है विक्रेताओं ने अपने हिस्से से अधिक जमीन बेच दी है इस हेतु सिविल न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकारिता नहीं है परीक्षण में यह भी पाया गया है कि हस्तगत वाद के अतिरिक्त भी अन्य न्यायालय व न्यायालय हाजा में अन्य वाद विचाराधीन होना संभावित हे जिसकी वादिया ने पुष्ठि नहीं की जबकि वादिया ने स्वंय अपने वाद में कथन किया है प्रकरण संख्या 14/2012 अपील उनके पक्ष में निर्णीत हुई है, प्रकरण संख्या 13/2012 द्वारा स्थगन प्रभावी है । जवाबदावा में वर्णन आया है कि प्रकरण संख्या 13/12 फैसल होकर खारीज हो चुका है तथा प्रकरण संख्या 135/12 एवं इसका प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या 106/12 पूर्व में खारीज हो चुके हे । अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीन निम्बाहेडा में नियमित प्रकरण 2/13 विचाराधीन है । उक्त प्रकरणों , के संब्रध में वादिया ने स्पष्ट नहीं

उपखण्ड अधिकारी
बेगूं, जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

कराया है कि इन प्रकरणों के आधार पर विवादित आराजीयात एवं विषयवस्तु की वस्तुस्थिति क्या है । जब अन्य न्यायालय में नियमित प्रकरण विचाराधीन है तो इस घोषणा व बंटवाडे की दाद ~~प्रदत्त~~ प्रस्तुत करने से राजस्व रेकार्ड में और विविधताएं एवं विवाद बाहुल्यता सभांवित है तथा उक्त प्रकरणों के न्याय निर्णयन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पडना स्वभाविक होगा । उपरोक्त अनिर्णीत बिन्दुओं की रोशनी में प्रकरण लॉ ऑफ स्टोपल से प्रतिबंधित । वादीया पंजिकृत दस्तावेज को निरस्त कराने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतन्त्र है । अतः वाद वादिया नासाबित रहने से खारीज किया जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

( अंजू शर्मा )
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, भदेसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मूल वाद में डिक्री
(व्य0प्र0सं0 के आदेश 20 के नियम 6 व 7)
न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, मुकाम–भदेसर जिला चित्तौडगढ (राज0)
बईजलास – सुश्री अंजू शर्मा, आर0ए0एस0,

मु0भगवानी बाई पुत्री दल्ला पत्नी स्व0छोगालाल जाट 55 वर्ष निवासी कन्नौज तहसील भदेसर

..... वादीया

।। बनाम ।।

1. भेरी बाई पत्नी रामेश्वरलाल जाट 44 वर्ष निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
2. नारायणलाल पिता दल्ला जाट वयस्क निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
3. हरलाल पिता दल्ला जाट वयस्क निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
4. कालू पिता रामा जाट वयस्क निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
5. राधीबाई पत्नी हरीराम जाट वयस्क निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
6. धनराज पिता लेहरू जाट वयस्क निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
7. सुरेशचन्द्र पिता लेहरू जाट वयस्क निवासी कन्नौज तहसील भदेसर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर

..... प्रतिवादीगण

वाद घोषणा , स्थाई निषेधाज्ञा एवं विभाजन
अन्तर्गत धारा 88,188,53,183/209 रा0का0अधि0
प्रकरण सं0 40/2013

वादीया की और से वकील श्री नारायणसिहं खंगारोत एवं प्रतिवादीगण की ओर से कोई नहीं की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 07.10.2020 को न्यायालय के समक्ष निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादिया नासाबित रहने से खारीज किया जाता है ।

। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

यह आज दिनांक 07–10–2020 को डिग्री पर्चा मुर्तिब किया गया ।

(अंजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला–चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.05 16:00:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner